<u>न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–97/2017</u>
<u>CIS NO. PS 21/2019</u>

उमेश साह.....वादी

बनाम

रमेश साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
09.01.2025	वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.11.2019 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी की ओर से दिनांक 15.11.2019 को आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0–01 के बयान तहरीरी के पारा न0–09 से ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि खेसरा–1435 का अंश भाग रकबा 7½ धुर सुनिता देवी, प्रतिवादी सं0–01 की पत्नी द्वारा सन् 2017 में खरीदने का बयान किया गया है, जो बिल्कुल जाली एवं फरेबी दस्तावेज है एवं बेला हकियत प्राप्त व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया है। प्रतिवादी सं0–01 के बयान तहरीरी में दिए गए बयानात के आधार पर सुनिता देवी को पक्षकार बनाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रतिवादी सं0–01 के बयान तहरीरी में सुनिता देवी द्वारा 2017 में प्राप्त विक्रय विलेख के विक्रेताओं का नाम एवं तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदन को स्वीकार करते हुए सुनिता देवी को पक्षकार बनाने का आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण को वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर देने से दिनांक 03.07.2024 को वंचित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद वादपत्र के मद सं0–01 में वर्णित भूमि के निस्वत वादी को 1/3 हिस्सा दिलाने एवं	

<u>न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–97/2017</u>
<u>CIS NO. PS 21/2019</u>

उमेश साह.....वादी

बनाम

रमेश साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.01.2025	अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। वादी की ओर से आवेदन के समर्थन में आवेदन में कथित विक्रय विलेख बनाम सुनिता देवी से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है, बिना किसी कागजात के न्यायालय को आवेदन में वर्णित हस्तक्षेपक/प्रतिवादी को प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार बनाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश Globe Ground India Employees Union v. Lufthansa German Airlines & Anr., 2019 एवं Ram Kumar Versus State of Uttar Pradesh and Others, 2022 (8) Supreme 684 के आलोक में तथा न्यायहित में भी वादी का आवेदन दिनांक 15.11.2019 को ग्रहण करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदन दिनांक 15.11.2019 को खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 21.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मंसिफ नरकटियागंज	